फर्द अहकाम

अज अदालत अति0 जिला मजिस्ट्रेट.....मुकाम .....टोंक .....

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक टोंक.....बनाम ..... विजेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा.....गुण्डा एक्ट ..नं0.....21.....सन.... 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/18	आज यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक टोंक ने अभियोजन अधिकारी टोंक के माध्यम से गैर सायल विजेन्द्र सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी गुदलिया के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 पेश कर निवेदन किया कि बाद समाअत सलूक कानूनी फरमाया जाकर गैर सायल को जिला हाजा से अन्य जिले में निष्कासित करने की कृपा करें। हमने प्रस्तुत इस्तगासे का अवलोकन किया, गैर सायल के विरूद्ध अंकित रिकॉर्ड अनुसार 2 अभियोग आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुए है। दोनो अभियोगो मे सजा हो चुकी है। गैर सायल अवैध शराब बैचने का आदि है। अतः इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। पत्रावली दिनांक 03.12.2018 को पेश हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	946 29/11/18
3/12/18	APP ने उक्त गैरहाजरी का नोटिस समन जारी तामिल। अमतामिल अग्रसर। गैरहाजरी के लिए नोटिस समन की फाइल पत्रावली दिनांक 21-12-18 को पेश हो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	1055 3/12/18
21/12/18	APP ने उक्त गैरहाजरी का नोटिस समन जारी तामिल प्राप्त। गैरहाजरी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। गैरहाजरी की पृष्ठभूमि के जमानती वारन्ट के तलब किये फाइल पत्रावली दिनांक 7-2-19 को पेश हो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	1231 21/12/18

Scanned by CamScanner

7/19 पिता अभिभावक साथ होने पर पाबंद नहीं लगाई APP-I उक्त प्रेटकापल की नहीं जमानती वारंट जारी किये बगैर बगैर की बाद तामिला/अदम तामिल अपील पुनः तलबी जमानती वारंट 10,000/- रुपये प्रेटकापल नहीं पुलिस अभिरक्षा होने की नाकद जमानती 199-201 11-2-19 दिनांक 28-2-19 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

28/2/19 APP-I ने प्रेटकापल उक्त बहस सुनी गई प्रेटकापल की आपेक्ष पढ़कर सुनाया गया प्रेटकापल द्वारा आपेक्ष स्वीकार किया गया प्रेटकापल की 6 माह की अवधि के लिए शांति बनाये रखने हेतु 10,000/- रुपये की जमानत व 10,000/- रुपये के स्वयं के मुचलके पर पाबंद किया जाये। प्रेटकापल द्वारा इंतजाम जमानत/मुचलका पेश किये जिन्हें बाद प्रमाणित/सत्यापित कर शामिल फाईल किया गया प्रेटकापल को 6 माह के लिए शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। जमानती वारंट अमल 428-430 1-3-19 बाद तकमील वापिस पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner